


379



प्रकरण क्रमांक- निगरानी-3971/2018/सीधी/भू.र

शुद्ध 21/10
राजस्व दि. 28-6-18
प्रमुख प्राथमिक
दिनांक 5-7-18 निगरानी

राजस्व मण्डल
दिनांक 28-6-18

बृजेन्द्र सिंह तनय अखण्ड प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम- अमहा, तह0-
गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

पुष्पेन्द्र सिंह तनय अखण्ड प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम- अमहा, तह0-
गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

शान्ती सिंह पत्नी अखण्ड प्रताप सिंह चौहान निवासी ग्राम- अमहा, तह0-
गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

— निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

1. आदित्य प्रताप सिंह तनय केशव सिंह निवासी ग्राम- अमहा, तह0- गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.)
2. अशोक प्रताप सिंह तनय केशव सिंह निवासी ग्राम- अमहा, तह0- गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.)
3. नारेन्द्र प्रताप सिंह तनय केशव सिंह निवासी ग्राम- अमहा, तह0- गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.)
4. मंगलेश्वर सिंह तनय केशव सिंह निवासी ग्राम- अमहा, तह0- गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.)
5. उदयराज सिंह तनय केशव सिंह निवासी ग्राम- अमहा, तह0- गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.)
6. रामराज सिंह तनय केशव सिंह निवासी ग्राम- अमहा, तह0- गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.)

— गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय
श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास,
जिला- सीधी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक-
240/अपील/2016-17 (प्रथम राजस्व
अपील) में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक-

04.06.2018

16-7-18

शुद्ध शमापन
28-6-18 (अपील)
जाहीलियर


- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3971/2018/सीधी/भू.रा.

बृजेन्द्र विरूद्ध आदित्य प्रताप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 240/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: right;"> (आर.के. जैन) सदस्य 18/3/19</p>